न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 11/2022

प्रार्थी–
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा
सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. शांति लाल गेहलोत पुत्र बाबू लाल गेहलोत प्रो. मैसर्स अम्बा देवी ट्रेडिंग कम्पनी पता मोकलसर रोड तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–
1. श्री दीपक सैनी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 17.02.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण शांति लाल गेहलोत व अन्य के विरूद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण शांति लाल गेहलोत व अन्य की प्रार्थना एवं व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज मे कुल 24,95,000/– रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज [illegible] करना स्वीकार किया। अप्रार्थी(गण) सं. 1 द्वारा [illegible] उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के [illegible] बाबू लाल गेहलोत [illegible]मित्व की अचल सम्पत्ति, भूमि एवं भवन जो कि पट्टा नंबर 9 मिसल [illegible] 10

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

दिनांक 16.04.2012 ग्राम सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर में स्थित बनाप 3520 वर्गफीट को प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 16.02.2018 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.09.2021 तक बकाया शेष रूपये 31,22,221/– (10,22,333/–) भुगतान नही करने पर अप्रार्थी का खाता एनपीए घोषित कर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये। प्रार्थी बैंक के पक्ष मे अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व मे है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे मे लेना सम्भव नही है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 24,95,000/– ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 30.09.2021 तक कुल 31,22,221/– (10,22,333/–) बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है तथा समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। *सुनंदा कुमारी (श्रीमती) बनाम स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, 2007 (135) कम्प.केस. 604 (कर्नाटक)* के प्रकरण में जैसाकि निर्धारित किया गया हैं कि यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका हैं तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 14 के अधीन प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से धारा 13(2) का नोटिस विधि[illegible] से अप्रार्थीगण को संसूचित किया गया है, इसके पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा [illegible] राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 मे विहित प्रावधानों के

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप मे रखी गई उक्त सम्पत्ति ''बाबू लाल गेहलोत के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति, भूमि एवं भवन जो कि पट्टा नंबर 9 मिसल नंबर 10 दिनांक 16.04.2012 ग्राम सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर में स्थित बनाप 3520 वर्गफीट'' का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Lok

(लोक बंधु)

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:24 IST
Reason: SelfAttested